

कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर (म.प्र.)

पृ. क्रमांक 8961/अंतरमण्डलीय स्थानांतरण

इन्दौर, दिनांक 27/10/2026

प्रतिलिपि :-माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर का ज्ञापन क्रमांक बी/5898/तीन-18-180/75(गाईडलाईन),जबलपुर दिनांक 03.10.2026 एवं उसके संलग्न अंतरमण्डलीय स्थानांतरण के संबंध में जारी माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के परिपत्र क्रमांक बी/5897/तीन-18-180/75(गाईडलाईन), जबलपुर दिनांक 03.10.2026 की प्रति-

- 1- समस्त न्यायिक अधिकारीगण जिला न्यायालय, इन्दौर, तहसील न्यायालय सांवेर/हातोद/देपालपुर/डॉ. अम्बेडकर नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- कोर्ट मैनेजर/प्रशासनिक अधिकारी/उप-प्रशासनिक अधिकारीगण की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण, जिला मुख्यालय इन्दौर, कुटुम्ब न्यायालय, इन्दौर, तहसील न्यायालय,सांवेर/हातोद/देपालपुर/डॉ. अम्बेडकर नगर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- ✓ 4- सिस्टम ऑफिसर, कम्प्युटर अनुभाग, जिला न्यायालय,इन्दौर की ओर वेबसाईट पर अपलोड किये जाने व ईमेल/अन्य संचार माध्यम से सम्प्रेषण हेतु प्रेषित।

संलग्न:-

उपरोक्तानुसार।

वास्ते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
इन्दौर (म.प्र.)

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

क्रमांक

बी/5898

जबलपुर, दिनांक 03/10/2026

प्रति,

1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
(राज्य के समस्त)
2. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय
(राज्य के समस्त)

विषय :- जिला स्थापना स्तर पर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी न्यायिक कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति/दिशा-निर्देश।

संदर्भ :- रजिस्ट्री ज्ञापन क्रमांक सी/1561 सह परिपत्र क्रमांक सी/1560/तीन-18-180/75 (गाइड लाईन) दिनांक 11/04/2022 ।

महोदय/महोदया,

यथानिर्देश, उपरोक्त विषयान्तर्गत पूर्व में जारी संदर्भित परिपत्र को एतद्वारा अतिष्ठित करते हुए, राज्य की न्यायिक जिला स्थापनाओं अर्थात्— (i) प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की स्थापना एवं (ii) प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय की स्थापना, पर पदस्थ तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी न्यायिक कर्मचारियों की नवीन 'स्थानांतरण नीति/एकीकृत दिशा-निर्देश' संबंधी परिपत्र क्र. बी/5897 दिनांक 03/10/2026, मय [प्रारूप—'अ' (भाग—एक एवं दो) , प्रारूप—'ब' (भाग—एक एवं दो)—अंतर जिला स्थानांतरण आवेदन—पत्र] एवं [प्रारूप 'स'— अंतर जिला स्थानांतरण आवेदन पत्रों की पंजी], आपकी ओर, एतद्, संलग्न सूचनार्थ, अनुपालनार्थ एवं आपके अधीनस्थ समस्त न्यायिक अधिकारियों एवं न्यायिक कर्मचारियों के मध्य परिचालनार्थ प्रेषित है।

उपरोक्त नवीन 'स्थानांतरण नीति/एकीकृत दिशा-निर्देश' संबंधी परिपत्र क्र. बी/5897 दिनांक 03/10/2026, माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की वेबसाइट पर **Rules** टैब के अन्तर्गत अवलोकन हेतु उपलब्ध है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार परिपत्र एवं प्रारूप—'अ', 'ब' एवं 'स'।

(Signature)
03/10/26

(मुकेश रावत)
रजिस्ट्रार (जिला स्थापना)

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

परिपत्र

क्रमांक बी/5897.....
तीन-18-180/75 (गाइड लाईन)

जबलपुर, दिनांक 03/10/2026

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा जिला स्थापनाओं (District Establishments), जिसमें प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की स्थापना तथा प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय की स्थापना अर्थात् दोनों स्थापनायें सम्मिलित हैं, के स्तर पर पूर्व में इस संबंध में जारी समस्त परिपत्रों/ज्ञापनों को निरस्त करते हुये, पदोन्नति के समय एवं अन्यथा, निम्नानुसार स्थानांतरण नीति/एकीकृत दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं। यह स्थानांतरण नीति/एकीकृत दिशा निर्देश विधि के अंतर्गत प्रवर्तनीय नहीं हैं, इनके होते हुये भी स्थानांतरण के मामलों में न्याय-तंत्र का हित सर्वोपरि होगा :

- (1) स्थानांतरण नीति/एकीकृत दिशा-निर्देश परिपत्र जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे।
- (2) कोर्ट मैनेजर, प्रशासनिक अधिकारी एवं उप-प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर :-
 - (i) एक स्थापना पर, पदस्थापना की सामान्य अवधि 03 (तीन) वर्ष की होगी। अवधि की गणना के लिये प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को कटऑफ तिथि मानी जावेगी एवं 06 (छः) माह से अधिक की अवधि को पूर्ण वर्ष माना जावेगा। उच्च न्यायालय द्वारा वार्षिक स्थानांतरण सामान्यतः प्रति वर्ष 15 अप्रैल तक किये जावेंगे।
 - (ii) कर्मचारी की अधिवार्षिकीय आयु पूर्ण होने से 01 (एक) वर्ष पूर्व उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर वांछा किये जाने पर, पद रिक्त होने की स्थिति में गृह जिले में स्थानांतरण के संबंध में विचार किया जा सकेगा।
 - (iii) 03 वर्ष की पदस्थापना अवधि में 01 (वर्ष) की अवधि का विस्तार संबंधित कर्मचारी के अभ्यावेदन पर उसी स्थिति में किया जा सकेगा, जब प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अथवा प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय (जो

भी लागू हो) कर्मचारी के अभ्यावेदन में दिये गये आधारों की युक्तियुक्तता का सत्यापन करते हुये उक्त आशय की अनुशंसा करेंगे।

- (iv) कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत स्थानांतरण अभ्यावेदन निरस्त होने के आदेश से 06 (छः) माह की अवधि तक नवीन स्थानांतरण अभ्यावेदन पर सामान्यतः पुनः विचार नहीं किया जावेगा, जब तक कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अथवा प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय (जो भी लागू हो) के अनुसार अपरिहार्य स्थिति उत्पन्न न हुई हो।

- (3) कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित कर्मचारियों को छोड़कर शेष अन्य तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों पर एक ही जिले के भीतर समान पदस्थापना (Same Establishment) अथवा जिले के भीतर भिन्न पदस्थापना (Different Establishment) पर स्थानांतरण के संबंध में:—

- (i) कर्मचारी की समान जगह (on the same seat) पर पदस्थापना की सामान्य अवधि 03 (तीन) वर्ष की होगी। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा वार्षिक स्थानांतरण प्रत्येक वर्ष माह मई-जून (ग्रीष्मकालीन अवकाश) में किये जावेंगे। पदभार ग्रहण करने हेतु सामान्यतः एक सप्ताह का समय दिया जावेगा।
- (ii) उपरोक्तानुसार वार्षिक शृंखला से भिन्न स्थानांतरण के मामलों में, पदभार ग्रहण काल, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा जारी आदेश में उल्लिखित रहेगा।
- (iii) जिले के भीतर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की स्थापना एवं प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय की स्थापना में, पदोन्नति एवं वार्षिक शृंखला में, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानांतरण प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किये जावेंगे।
- (iv) उपरोक्तानुसार पदोन्नति एवं वार्षिक शृंखला से भिन्न स्थानांतरण के मामलों में, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय की पारस्परिक सहमति से कर्मचारियों की अदला-बदली एवं स्थानांतरण किये जावेंगे। प्रस्ताव/आपत्ति जैसी भी स्थिति हो, एक दूसरे को संसूचित करने के 15 (पंद्रह) दिवस के भीतर आपसी सहमति नहीं

बनने अथवा असहमति की दशा में, उपरोक्तानुसार एक ही जिले (Same Establishment) के भीतर स्थानांतरण रजिस्ट्री के माध्यम से होंगे। इस हेतु यथा स्थिति प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, प्रस्ताव/आपत्ति रजिस्ट्री को अग्रेषित करेंगे।

- (v) प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की स्थापना/प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय की स्थापना में से किसी पद पर सामान्यतः स्वीकृत पदों से अधिक तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदस्थापनाएँ, संलग्नीकरण (Attachment) इत्यादि द्वारा नहीं की जावेगी। विशेष परिस्थितियों/विशेष समयावधि हेतु आवश्यक होने पर उपरोक्तानुसार रजिस्ट्री से पूर्वानुमति प्राप्त कर पदस्थाना की जा सकेगी।

(4) तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अंतर जिला (inter district) स्थानांतरण के मामलों में :-

- (i) जूनियर सिस्टम एनालिस्ट का अंतर जिला स्थानांतरण केवल असाधारण परिस्थितियों में उनके द्वारा वांछा किये जाने पर, पद रिक्त होने की स्थिति में, स्थानांतरण के संबंध में उनके द्वारा दिये गये विकल्प पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा सकेगा।
- (ii) किसी स्थापना पर लेखापाल/सहायक लेखापाल/अन्य तकनीकी कर्मचारी की आवश्यकता होने पर, उस जिले की स्थापनाओं पर संबंधित कर्मचारियों के उपलब्ध नहीं होने की दशा में, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के प्रस्ताव पर, आसपास की जिला स्थापनाओं से, अंतर जिला स्थानांतरण रजिस्ट्री के माध्यम से हो सकेंगे।
- (iii) जिन कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति में एक वर्ष या उससे कम समय शेष हो, सामान्यतः उनका अंतर जिला स्थानांतरण नहीं किया जावेगा/स्थानांतरण के समय उनके द्वारा दिये गये विकल्प पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा सकेगा।
- (iv) पति-पत्नी के स्वयं के व्यय पर एक ही साथ पदस्थापना के लिये आवेदन पत्र प्राप्त होने पर, यथासंभव एक ही जिले में उनका स्थानांतरण, प्रशासकीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखकर किया जा सकेगा।

- (v) ऐसे कर्मचारियों को जिनके पति/पत्नी एवं पुत्र/पुत्री मानसिक निःशक्तता या बहुआयामी निःशक्तता से पीड़ित हैं, को स्वयं के व्यय पर ऐसी जगह पर पदस्थापना करने के संबंध में विचार किया जा सकेगा, जहाँ निःशक्तता से पीड़ित का उपचार एवं पुत्र/पुत्री को शिक्षा सुलभ हो सके, बशर्ते कि वे ऐसी निःशक्तता के उपचार/शिक्षा के लिये मान्यता प्राप्त संस्थान से इस बारे में समुचित प्रमाण प्रस्तुत कर सकें।
- (vi) कैंसर जैसी टर्मिनल तथा अतिरिक्त गंभीर बीमारी, डायलिसिस या ओपन हार्ट सर्जरी के मामलों में, वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर नियमित जाँच की सुविधा उपलब्ध नहीं होने पर, जिला मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर, कर्मचारी द्वारा अंतर-जिला स्थानांतरण चाहने पर स्थानांतरण किया जा सकेगा।
- (vii) प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि चिकित्सा संबंधी प्रपत्रों के अतिरिक्त सक्षम चिकित्सक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र भी संलग्न हो कि संबंधित कर्मचारी अथवा उनके परिजन किस रोग या स्वास्थ्य संबंधी समस्या से पीड़ित हैं तथा स्थानीय स्तर पर उनका उपचार संभव है या नहीं।

(5) प्रशासनिक कारणों से अंतर जिला (inter district) स्थानांतरण :-

मध्य प्रदेश जिला न्यायालय स्थापना (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2016 के नियम 30 (1) के प्रयोजन के तहत किसी भी कर्मचारी का स्थानांतरण संबंधित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय के विशेष प्रतिवेदन के आधार पर लोक हित में/प्रशासनिक आधार पर अंतर जिला स्थानांतरण किया जा सकेगा।

मध्य प्रदेश जिला न्यायालय स्थापना (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2016 के नियम 30 (1) के तहत माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के प्राधिकार के अध्याधीन ऐसे स्थानांतरण की अवधि सामान्यतः 01 (एक) वर्ष की होगी। 01 (एक) वर्ष के उपरांत स्थानांतरित कर्मचारी उसके पूर्व स्थान पर स्थानांतरण करने संबंधी अभ्यावेदन प्रस्तुत करता है तो ऐसे अभ्यावेदन पर वर्तमान एवं पूर्व पदस्थापना के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/प्रधान

न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय से विशेष प्रतिवेदन प्राप्त कर उसमें कर्मचारी के कार्य, आचरण व व्यवहार में सुधार परिलक्षित होने पर, पद रिक्त होने की स्थिति में, उसे उसके पूर्व पदस्थापना के जिले अथवा उसके नजदीक के जिले में स्थानांतरित करने पर विचार किया जा सकेगा।

(6) स्वयं के व्यय पर रिक्त पद पर, एकल (single) अंतर जिला स्थानांतरण—

- (i) स्वयं के व्यय पर रिक्त पद पर एकल अंतर जिला स्थानांतरण हेतु संबंधित जिले के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन पत्र प्रारूप—“ब” के भाग—‘एक’ में होगा।
- (ii) संबंधित कर्मचारी अपने जिले की स्थापना के प्रधान जिला एवं न्यायाधीश को स्थानांतरण आवेदन पत्र 03 (तीन) मूल प्रतियों में प्रस्तुत करेगा। आवेदन पत्र की प्राप्ति के 10 (दस) दिवस के भीतर संबंधित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आवेदन पत्र की प्रविष्टियों का कार्यालयीन सत्यापन कराकर, आवेदन पत्र की एक-एक प्रति, प्रारूप—“ब” के भाग—‘दो’ में कर्मचारी से संबंधित अनुशासनात्मक कार्यवाहियों (निराकृत एवं लंबित) की जानकारी, संबंधित कर्मचारी को अपनी स्थापना से छोड़ने (spare) की स्पष्ट सहमति/असहमति तथा कर्मचारी के पूर्ववर्ती 05 (पांच) वर्षों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों, (जब संबंधित अवधि के एक अथवा एक से अधिक वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन किसी कारण से उपलब्ध नहीं हो तो, विचाराधीन अवधि के पूर्ववर्ती वर्षों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन सहित) अपने प्रतिस्थानी (counterpart) प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं रजिस्ट्री को भिजवायेंगे।
- (iii) प्रतिस्थानी (counterpart) प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को उपरोक्तानुसार दस्तावेज एवं जानकारी उनके ई-मेल पते पर भिजवायी जावेगी, मूल प्रतियां डाक से भिजवाई जावेंगी। रजिस्ट्री को दस्तावेज एवं जानकारी ई-मेल आई.डी. regdehcjbp@mp.gov.in पर भी भिजवायी जावेगी, मूल प्रतियां डाक से भेजी जावेंगी।

- (iv) उस जिले के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जहाँ कि जिला स्थापना/कुटुम्ब न्यायालय स्थापना पर अंतर-जिला स्थानांतरण वांछित है, उपरोक्तानुसार स्थानांतरण आवेदन पत्र प्राप्त होने के 10 (दस) दिवस के भीतर, संबंधित प्रवर्ग में रिक्त पद/आगामी तीन माह में संभावित रिक्त पद, उपलब्ध होने की दशा में कर्मचारी को अपनी स्थापना पर आमेलित (absorb) करने के संबंध में अपनी स्पष्ट सहमति/असहमति, अपने प्रतिस्थानी (counterpart) प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं रजिस्ट्री को भिजवायेंगे। असहमति की दशा में, असहमति के कारणों का स्पष्ट उल्लेख होगा। रजिस्ट्री को मूल प्रतियां डाक से भेजकर उक्त जानकारी ई-मेल आई.डी. regdehcjbp@mp.gov.in पर भी भिजवायी जावेगी।
- (v) उपरोक्तानुसार रिक्त पद की जानकारी में जिला स्थापना/कुटुम्ब न्यायालय स्थापना की जानकारी सम्मिलित रहेगी तथा जानकारी पृथक-पृथक दर्शित कर, संसूचित की जावेगी।
- (vi) उपरोक्तानुसार 10 दिवस की समय सीमा (time line) के भीतर यदि किसी स्थापना द्वारा कर्मचारियों के स्थानांतरण आवेदन पत्र पर कार्यवाही नहीं किये जाने की स्थिति में संबंधित कर्मचारी प्रारूप-“ब” के भाग-‘एक’ में अपनी स्थापना की आवक शाखा में प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र की छायाप्रति को सीधे रजिस्ट्री की ओर प्रेषित करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
- (vii) प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश यथास्थिति कर्मचारी को छोड़ने (spare) एवं आमेलित (absorb) करने के संबंध में, उपरोक्तानुसार विहित समय सीमा (time line) में सहमति/असहमति संसूचित नहीं करने पर, सहमति/असहमति व्यक्त करने के अपने अधिकार से वंचित हो जावेंगे। तदोपरांत रजिस्ट्री स्तर पर समय-सीमा बढ़ाई जा सकेगी अथवा यथास्थिति कर्मचारी को छोड़ने (spare) एवं अमेलित (absorb) करने के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा।

(7) स्वयं के व्यय पर पारस्परिक (mutual) अंतर जिला स्थानांतरण :-

- (i) स्वयं के व्यय पर, पारस्परिक अंतर जिला स्थानांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रारूप—‘अ’ के भाग—‘एक’ में होगा।
 - (ii) संबंधित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रारूप—‘अ’ के भाग—‘दो’ में कर्मचारी से संबंधित प्रविष्टियों का कार्यालयीन सत्यापन कराकर, अपने प्रतिस्थानी (counterpart) प्रधान जिला एवं न्यायाधीश एवं रजिस्ट्री को भिजवायेंगे।
 - (iii) स्थानांतरण नीति के सरल क्रमांक (6) की उपकंडिका (ii) लगायत (vii) में वर्णित (आवेदन प्रारूप को छोड़कर) शेष निर्देश स्वयं के व्यय पर पारस्परिक (mutual) अंतर जिला स्थानांतरण के मामलों पर भी लागू होंगे।
- (8) अंतर जिला स्थानांतरण हेतु उपरोक्तानुसार प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन, आवेदन पत्र, सहमति/असहमति इत्यादि के मामलों में :-

- (i) प्रत्येक जिला स्थापना पर “अंतर-जिला स्थानांतरण आवेदन पत्रों की पंजी” प्रारूप—“स” में, उप-प्रशासनिक अधिकारी द्वारा संधारित की जावेगी। पंजी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा त्रैमासिक अंतराल में सत्यापित की जावेगी।
- (ii) नवनियुक्त कर्मचारी के स्थानांतरण के मामलों में उनकी पदस्थापना के स्थान पर 03 (तीन) वर्ष की अवधि पूर्ण होने के पश्चात् ही उनके स्थानांतरण अभ्यावेदन पर विचार किया जा सकेगा। अति गंभीर चिकित्सीय परिस्थिति एवं अन्य अपरिहार्य कारणों जो कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा अनुशंसित हो, की दशा में नवनियुक्त कर्मचारी के अंतर जिला स्थानांतरण अभ्यावेदन पर विचार किया जा सकेगा।
- (iii) सहमति/असहमति हेतु संबंधित तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की 05 (पांच) वर्षों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों के विशेष संदर्भ में विचार किया जावेगा। प्रत्येक कर्मचारी के मामले पर उसकी स्वयं की योग्यता के आधार पर पृथक-पृथक विचार किया जावेगा, कर्मचारियों की योग्यताओं का कोई तुलनात्मक निर्धारण करना आवश्यक नहीं होगा।

- (iv) कर्मचारी का स्वास्थ्य, आचरण, उसके विरुद्ध विभागीय निराकृत एवं लंबित जाँच और शिकायतें अन्य आधार होंगे, जिनसे अंतर-जिला स्थानांतरण नियंत्रित होगा।
- (v) अंतर जिला स्थानांतरण हेतु आधार वास्तविक होकर, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा सत्यापित होने चाहिये।
- (vi) अंतर जिला स्थानांतरण हेतु सहमति दिये जाने एवं आवेदन पत्र के निराकृत होने के बीच की अवधि में, यदि कर्मचारी के विरुद्ध कोई विभागीय जांच कार्यवाही संस्थित होती है, तब उसकी सूचना संबंधित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा तत्काल रजिस्ट्री को ई-मेल आई.डी. regdehcjbp@mp.gov.in पर की जावेगी एवं दूरभाष/मोबाइल पर संसूचित की जावेगी।
- (vii) जिन कर्मचारियों की वरीयता सूची रजिस्ट्री स्तर पर संधारित होती है अर्थात् प्रशासनिक अधिकारी, उप-प्रशासनिक अधिकारी, लेखापाल, वरिष्ठ निज सहायक के अतिरिक्त, अन्य तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पारस्परिक सहमति एवं एकल अंतर-जिला स्थानांतरण के मामलों में नवीन जिला स्थापना पर कर्मचारियों की वरिष्ठता उसके संबंधित प्रवर्ग में पदभार ग्रहण करने की तिथि से गिनी जावेगी, इस हेतु कर्मचारी को आवेदन में ही लिखित सहमति देनी होगी। स्थानांतरित कर्मचारी का नाम, नवीन पदस्थापना पर उनके प्रवर्ग की वरीयता सूची में, अंतिम प्रक्रम पर रखा जावेगा।
- (viii) अंतर जिला स्थानांतरण से संबंधित आधारों को उपयुक्त मामलों में शिथिल किया जा सकेगा।
- (9) स्थानांतरण अभ्यावेदन निरस्त होने के फलस्वरूप – तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत स्थानांतरण अभ्यावेदन/आवेदन निरस्त होने के आदेश से 06 (छः) माह की अवधि तक नवीन स्थानांतरण अभ्यावेदन/आवेदन पर सामान्यतः पुनः विचार नहीं किया जावेगा, जब तक कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अथवा प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय (जो भी लागू हो) के अनुसार अपरिहार्य स्थिति उत्पन्न न हुयी हो।

- (10) कार्यमुक्ति की अवधि में वृद्धि – यदि किन्हीं महत्वपूर्ण लंबित शासकीय कार्यों को निपटाने के लिये कार्यमुक्त करने में कठिनाई हो, तो कार्यमुक्त करने के लिये रजिस्ट्री से अवधि बढ़ाने का तत्काल अनुरोध किया जावेगा।
- (11) एकतरफा कार्यमुक्ति – यथा स्थिति, एक सप्ताह अथवा स्थानांतरण आदेश में उल्लिखित तिथि अथवा बढ़ी हुई तिथि व्यतीत हो जाने पर कार्यालय प्रमुख स्थानांतरित कर्मचारी को कार्यमुक्त कर सकेंगे।
- (12) वेतन आहरण – स्थानांतरण आदेश के क्रियान्वयन के लिए पूर्वोक्त कंडिकाओं में निर्धारित अवधि के पश्चात् स्थानांतरित कर्मचारी का वेतन आहरण पूर्व पदस्थापना से बंद हो जायेगा, यदि इसके विपरीत वेतन आहरित होता है, तो यह वित्तीय अनियमितता मानी जाएगी। कार्यमुक्ति के तत्काल पश्चात् अंतिम वेतन प्रमाण पत्र तथा अन्य सेवा अभिलेख आवश्यक रूप से नवीन पदस्थापना कार्यालय को भिजवा दिए जाएंगे, इसके लिये कार्यालय प्रमुख, आहरण व संवितरण अधिकारी विशेष रूप से उत्तरदायी होंगे। कार्यमुक्त होने के पश्चात् स्थानांतरित कर्मचारी का वेतन नवीन पदस्थापना से ही आहरित होगा।
- (13) अवकाश स्वीकृति – कार्यमुक्त होने के पश्चात् एवं नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के मध्य की अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश, रजिस्ट्री का अभिमत प्राप्त करने के पश्चात् ही स्वीकृत किया जा सकेगा।
- (14) अपालन की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही – स्थानांतरण आदेश का बिना युक्तिसंगत कारणों से अपालन, बिना पूर्वानुमति एवं स्वीकृति के अवकाश पर प्रस्थान करने वाले कर्मचारी के विरुद्ध उसकी नवीन पदस्थापना के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा पृथक से अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की जावेगी।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार


03/10/26

{मुकेश रावत}
रजिस्ट्रार (जिला स्थापना)

प्रारूप-‘अ’ (भाग-एक)

स्वयं के व्यय पर पारस्परिक (Mutual), अंतर-जिला स्थानान्तरण हेतु
संयुक्त आवेदन पत्र

क्र.	विवरण	प्रथम आवेदक	द्वितीय आवेदक
1.	कर्मचारी का नाम		
2.	पिता/पति का नाम		
3.	वर्तमान पदस्थापना का नाम		
4.	इम्प्लॉई कोड		
5.	जन्मतिथि		
6.	नियुक्ति दिनांक		
7.	वर्तमान में धारित पद एवं दिनांक		
8.	वेतनमान		
9.	शैक्षणिक योग्यता		
10.	तकनीकी योग्यता		
11.	पत्राचार का पता		
12.	पूर्व में आवेदन प्रस्तुत किया हो, तो उसका विवरण ?		
13.	प्रशासकीय अत्यावश्यकता के दृष्टिगत पूर्व में स्थानान्तरण हुआ हो तो उसका विवरण ?		
		प्रथम आवेदक के हस्ताक्षर	द्वितीय आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

हम दोनों आवेदकगण ने उपरोक्तानुसार वांछित पारस्परिक अंतर-जिला स्थानान्तरण हेतु संयुक्त आवेदन पत्र आपसी स्वैच्छिक सहमति से दिया है। उपरोक्तानुसार स्थानान्तरण की दशा में, हम नवीन जिला स्थापना पर अपने प्रवर्ग की वरीयता सूची में अपने नामों को अंतिम प्रक्रम पर रखे जाने हेतु लिखित सहमति, एतद्द्वारा प्रदान करते हैं।

(प्रथम आवेदक के हस्ताक्षर)

(द्वितीय आवेदक के हस्ताक्षर)

नोट:— जिन कर्मचारियों की वरीयता सूची रजिस्ट्री स्तर पर संधारित होती है, उनको वरीयता सूची में अपने नाम को अंतिम प्रक्रम पर रखे जाने हेतु लिखित सहमति देने की आवश्यकता नहीं है।

प्रारूप-‘अ’ (भाग-दो)

स्वयं के व्यय पर पारस्परिक (Mutual), अंतर-जिला स्थानांतरण हेतु
संयुक्त आवेदन पत्र

आवेदक के जिला न्यायालय कार्यालय द्वारा निम्न जानकारी दी जावे

क्र.	बिन्दुवार वांछित जानकारी	विवरण
1.	प्रथम एवं द्वितीय आवेदकों के नाम एवं पदनाम	1. 2.
2.	पारस्परिक स्थानांतरण हेतु संबंधित जिला न्यायाधीश की सहमति/असहमति	
3.	सहमति/असहमति की दशा में स्पष्टकारण	
4.	कर्मचारी की सेवा पुस्तिका के आधार पर प्रथम नियुक्ति एवं वर्तमान पदस्थापना पर पदस्थ दिनांक	
5.	कर्मचारी की सेवा पुस्तिका के आधार पर गृह जिले का नाम	
6.	कर्मचारी की सेवा पुस्तिका के आधार पर पूर्व पदस्थापनाओं की जानकारी, यदि हो तो (कब से कब तक पदस्थ दिनांक सहित)	
7.	आवेदक का प्रशासकीय अत्यावश्यकता के दृष्टिगत पूर्व में स्थानांतरण हुआ हो, तो उसका पूर्ण विवरण	
8.	आवेदक के विरुद्ध लंबित शिकायत, अनुशासनात्मक कार्यवाही, शास्ति से संबंधित सभी जानकारी, यदि कोई हो तो	
9.	कर्मचारी पर आश्रित परिवार के सदस्यों के नाम, रिश्तों सहित	
10.	क्या कर्मचारी द्वारा अभ्यावेदन/आवेदन निरस्त होने के आदेश से 06 माह के पूर्व प्रेषित किया जा रहा है ? यदि हाँ तो तत्संबंधी रजिस्ट्री आदेश एवं स्थानांतरण नीति/दिशा निर्देश दिनांक 03.10.2026 की कंडिका 9 अनुसार स्पष्ट अनुशंसा	

11. पूर्ववर्ती पाँच वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदनों का विवरण:-

	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ	पंचम
वर्ष					
प्रदत्त ग्रेड					

12. यदि आवश्यक हो तो, कर्मचारी के संबंध में विशेष प्रतिवेदन (कार्य, आचरण एवं व्यवहार के संबंध में) :-

.....

.....

.....

रजिस्ट्री परिपत्र क्रमांक बी/5897/तीन-18-180/75 (गाईडलाइन) दिनांक 03/10/2026 के अनुसार, अंतर-जिला स्थानांतरण संबंधी आवेदन पत्र के वास्तविक आधार एवं उपरोक्त जानकारी का सत्यापन कर लिया गया है ।

(हस्ताक्षर)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला.....

प्रारूप-‘ब’ (भाग-एक)

स्वयं के व्यय पर रिक्त पद पर एकल (Single), अंतर-जिला स्थानांतरण हेतु आवेदन पत्र

1.	कर्मचारी का नाम	
2.	पिता/पति का नाम	
3.	वर्तमान पदस्थापना का नाम	
4.	इम्प्लॉई कोड	
5.	जन्मतिथि	
6.	नियुक्ति दिनांक	
7.	वर्तमान में धारित पद एवं दिनांक	
8.	वेतनमान	
9.	शैक्षणिक योग्यता	
10.	तकनीकी योग्यता	
11.	पत्राचार का पता	
12.	पूर्व में आवेदन प्रस्तुत किया हो, तो उसका विवरण ?	
13.	पूर्व में प्रशासकीय अत्यावश्यकता के दृष्टिगत स्थानांतरण हुआ हो तो उसका विवरण ?	
14.	अंतर जिला स्थानांतरण हेतु वरीयता क्रम में जिलों के नाम	1..... 2..... 3..... 4..... 5.....
		आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

उपरोक्तानुसार वांछित अंतर-जिला स्थानांतरण होने की दशा में, मैं अपनी नवीन पदस्थापना की स्थापना पर, अपने प्रवर्ग की वरीयता सूची में अंतिम प्रक्रम पर अपने नाम को रखे जाने की स्वैच्छिक लिखित सहमति, एतद्वारा देता हूँ ।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

नोट:- जिन कर्मचारियों की वरीयता सूची रजिस्ट्री स्तर पर संधारित होती है, उनको वरीयता सूची में अपने नाम को अंतिम प्रक्रम पर रखे जाने हेतु लिखित सहमति देने की आवश्यकता नहीं है ।

प्रारूप-‘ब’ (भाग-दो)

स्वयं के व्यय पर रिक्त पद पर एकल (Single), अंतर-जिला स्थानांतरण हेतु
आवेदन पत्र

आवेदक के जिला न्यायालय कार्यालय द्वारा निम्न जानकारी दी जावे

क्र.	बिन्दुवार वांछित जानकारी	विवरण
1.	आवेदक का नाम एवं पदनाम	
2.	जिला न्यायाधीश की सहमति/असहमति	
3.	सहमति/असहमति की दशा में स्पष्ट कारण	
4.	कर्मचारी की सेवा पुस्तिका के आधार पर प्रथम नियुक्ति एवं वर्तमान पदस्थापना पर पदस्थी दिनांक	
5.	कर्मचारी की सेवा पुस्तिका के आधार पर गृह जिले का नाम	
6.	कर्मचारी की सेवा पुस्तिका के आधार पर पूर्व पदस्थापनाओं की जानकारी, यदि हो तो (कब से कब तक पदस्थ दिनांक सहित)	
7.	आवेदक का प्रशासकीय अत्यावश्यकता के दृष्टिगत पूर्व में स्थानांतरण हुआ हो, तो उसका पूर्ण विवरण	
8.	आवेदक के विरुद्ध लंबित शिकायत, अनुशासनात्मक कार्यवाही, शास्ति से संबंधित सभी जानकारी, यदि कोई हो तो	
9.	कर्मचारी पर आश्रित परिवार के सदस्यों के नाम, रिश्तों सहित	
10.	क्या कर्मचारी द्वारा अभ्यावेदन/आवेदन निरस्त होने के आदेश से 06 माह के पूर्व प्रेषित किया जा रहा है ? यदि हाँ तो तत्संबंधी रजिस्ट्री आदेश एवं स्थानांतरण नीति/दिशा निर्देश दिनांक 03.10.2026 की कंडिका 9 अनुसार स्पष्ट अनुशंसा	

11. पूर्ववर्ती पाँच वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदनों का विवरण:-

	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ	पंचम
वर्ष					
प्रदत्त ग्रेड					

12. यदि आवश्यक हो तो, कर्मचारी के संबंध में विशेष प्रतिवेदन (कार्य, आचरण एवं व्यवहार के संबंध में) :-

.....

.....

.....

रजिस्ट्री परिपत्र क्रमांक बी/5897/तीन-18-180/75 (गाईडलाइन) दिनांक 03/10/2026 के अनुसार, अंतर-जिला स्थानांतरण संबंधी आवेदन पत्र के वास्तविक आधार एवं उपरोक्त जानकारी का सत्यापन कर लिया गया है ।

(हस्ताक्षर)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला.....

प्रारूप - 'स'

“अंतर-जिला स्थानांतरण आवेदन पत्रों की पंजी”

(न्यायिक जिला स्थापना का नाम:.....)

स.क्र.	आवेदक का नाम, पदनाम एवं पदस्थापना	आवेदन पत्र की प्रस्तुति दिनांक	आवेदन पत्र के दूसरी जिला स्थापना / रजिस्ट्री को भिजवाने का दिनांक सहित विवरण	आवेदक के हस्ताक्षर (यदि वह स्वयं उपस्थित है तो)	उपप्रशासनिक अधिकारी के हस्ताक्षर	त्रैमासिक सत्यापन का दिनांक सहित विवरण	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)